12/9/25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री......कार्य को स्थगित
उपस्थित......क्रिया गया
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि...15/10/25
को पेश हो।

14.10.25 पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं
गवाह श्री......कार्य को स्थगित
उपस्थित......क्रिया गया
अतः पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 18/11/25
को पेश हो।

18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी श्री मोती पिता रामा गमेती उम्र वयस्क निवासी कुम्हारखेड़ा तहसील डूंगला की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षी तहसीलदार डूंगला के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लोढियाना पटवार मण्डल लोढियाना के खाता संख्या 251 मे वर्णित आराजी नम्बर 1156/316 स्थित होकर प्रार्थी की खातेदारी की है, जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस पेश किया गया है। यह कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1156/316 पर आवागमन हेतु रास्ता का उपयोग खाता सं. 1 में वर्णित आराजी नम्बर 316 रकबा 0.4106 हेक्टेयर भूमि जो कि खाता-1 में सरकारी दर्ज रेकार्ड है मे रास्ता आवागमन हेतु वर्षों से पुराना है तथा प्रार्थी वर्षों से रास्ता का उपयोग-उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के सिवाए अलावा और कोई वैकल्पिक मार्ग रास्ता उपलब्ध नहीं होने से बिलानाम सरकार आराजी नम्बर 316 मे से रास्ता प्रार्थी हेतु 50 फीट चौड़ा पुख्ता रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया है। इस पर प्रार्थना पत्र को बाद जांच दर्ज कर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार डूंगला से जवाब मांगा गया। तहसीलदार डूंगला ने अपने पत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी डूंगला ...... मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला

मोती बनाम तहसीलदार डूंगला

251(ए) RTA नं. 11/2025 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
क्रमांक/राजस्व/2025/831 दिनांक 01-10-2025 के द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया गया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1156/316 में आने-जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से उनको आवागमन हेतु आने-जाने के लिए रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी के मध्य में स्थित बिलानाम आराजी संख्या 316 मे से चाहा गया रास्ता नियमानुसार अधिकतम 30 फीट चौड़ा रास्ता तथा 23 फीट लम्बाई में नवीन रास्ता के लिए प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 30×23 = 690 वर्गफीट यानि 0.0064 हेक्टेयर या 64 वर्गमीटर भूमि बनती है। प्रार्थी की आराजी व सड़क के बीच मे स्थित सरकारी भूमि जिसमें रास्ता का उपयोग हो रहा है वहाँ पर जहाँ पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी की अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1156/316 पर आवागमन हेतु मौके पर सड़क व प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 1156/316 के मध्य मे स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 316 मे से अधिकतम 30 फीट चौड़ा व 23 फीट लम्बाई मे नवीन रास्ता प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार दिया जाना उचित पाया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार डूंगला रास्ता के उपयोग में आने वाली भूमि के क्षेत्रफल की डी.एल.सी. दर की तहसील राजस्व लेखाकार से करवाई जाकर डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि नियमानुसार	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(6)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजकोष में जमा कराने के पश्चात नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता के अनुसार नियमानुसार राजस्व नक्शा में एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को नवीन रास्ता के संबंध में वाद विवाद करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा। रास्ता सार्वजनिक हितार्थ के लिए होगा। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रमाणित मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- 18/11/25 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2026.04.15 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner